


189

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर सर्किट कोर्ट रोवा म. प्र.

निमाशनी 2402-II-15

रिपट



5

220
26-6-15

12/10/15

राकेश चौरसिया तनय मुचकुन्द चौरसिया आयु 38 साल निवासी ग्राम महसाव,
तहसील व धाना गुड, जिला रोवा म. प्र. ----- पुनरोक्षण कर्ता

बनाम.

लालिजी चौरसिया तनय मुचकुन्द चौरसिया आयु 38 साल निवासी ग्राम महसाव
तहसील व धाना गुड जिला रोवा म. प्र. ----- गैर पुनरोक्षण कर्ता

पुनरोक्षण विरुद्ध आदेश एम. एल. जैन तहसीलदार
तहसील गुड के आदेश दिनांक 2.5.15 प्र. क्र. 21 /
13-14 व उन्वान राकेश पिता मुचकुन्द चौरसिया
बनाम लालिजी चौरसिया प्र. क्र. 16 अ-6 / 2009-10
व उन्वान राकेश चौरसिया पिता मुचकुन्द चौरसिया
वगैरह 3 नपर

मदतांतक 9041054
26-06-15

M

क्रमांक.....
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक.....को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन पत्र धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 199

आवेदन पत्र वावत दिए जाने छूट प्रस्तुत करने अधीन
न्यायलयों के अंतिम आदेश तहसीलदार द्वारा दिनांक
2.5.15 प्र. क्र. 21. अ-6 13-14 एस. डी. ओ. गुड
के आदेश दिनांक प्र. क्र. 16 अ-6 / 2009-10 दि. 13.1.

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है :-


तहसीलदार गुड एवं एस. डी. ओ. गुड द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.2402-II/15

जिला-रीवा

राकेश चौरसिया / लालजी चौरसिया

(1)	(2)	(3)
24.05.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	